अनुसूची — शान्तकुमार आदि मु. नं. 05/16

दिनांक	आज्ञा पत्र	
?.6.24	~~पत्रावली पेश। वादी उपस्थित 3/~~ आज बहस दिनांक 3.7.24 को पेश हो।	
3.7.24	पत्रावली पेश। वादी उपस्थित 3/ वादी अधिवक्ता ने बहस हेतु समय चाहा। आज बहस दिनांक 5.7.24 को पेश हो।	Noted
5.7.24	पत्रावली पेश। वादी उपस्थित 3/ वादी अधिवक्ता ने बहस हेतु समय चाहा। अन्तिम अवसर दिया गया। आज बहस दिनांक 15.7.24 को पेश हो।	
15.7.24	पत्रावली पेश। वादी उपस्थित 3/ वादी अधिवक्ता ने बहस हेतु समय चाहा। वादी अधि. ने निवेदन किया। वादी अधिवक्ता आगामी पेशी पर बहस नहीं करने पर ठीक तरह बहस सुनी जाकर निर्णय कर दिया जायेगा। आज बहस दिनांक 18.7.24 को पेश हो।	
18.7.24	पत्रावली पेश। वादी उपस्थित 3/ आज बहस दिनांक 22.7.24 को पेश हो। उभयपक्ष लिखित बहस पेश करें।	
22.7.24	पत्रावली पेश। बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 5/8/24 को पेश हो।	

दिनांक	आज्ञा पत्र	
5/8/24	पत्रावील पेश । अपील अपीलांट खारिज की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 05/2016

1 सुबराती पुत्र वजीर आयु 74 साल निवासी बागडोदा तहसील फतेहपुर जिला सीकर हाल व्यापारत हरिजनों का मोहल्ला चुडी चतरपुरा तहसील व जिला झुन्झुनू राज.

अपीलांट

बनाम

1 रामकुमार पुत्र सुरजा
2 सोनी बेवा भगवाना
3 कमला पुत्री स्व. भगवाना
4 सुमन पुत्री स्व. भगवाना
5 छोटु उर्फ छोटी पुत्री स्व. भगवाना
समस्त जाति जाट निवासीगण अलफसर तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज.।
6 लियाकत पुत्र करीम उर्फ कीमा
7 असगर पुत्र करीम उर्फ कीमा
8 अब्दुल हक्कानी पुत्र याकुब
9 मोहम्मद अली पुत्र याकुब
10 मोहम्मद इकबाल पुत्र याकुब
11 मोहम्मद सदाम पुत्र याकुब
12 मीरदीन पुत्र मन्नु
13 फतेह मोहम्मद पुत्र मन्नु समस्त जाति कसाई मुसलमान निवासीगण ग्राम अलफसर तहसील फतहेपुर जिला सीकर।
14 भूमिधारी जरिए तहसीलदार फतेहपुर जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 आरटी एक्ट विरूद्ध
निर्णय व डिक्री दिनांक 05.08.1987 मु. नं. 108/1987
बउनवानी रामकुमार आदि बनाम कीमा पीठासीन अधिकारी
एसडीओ फतेहपुर श्री फसराज सुनार आरएएस

उपस्थिति :

1. श्री महेश कुमार जांगिड़, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री प्रभातीलाल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री राजेन्द्र प्रसाद सैनी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 5.8.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर द्वारा मुकदमा नम्बर 108/1987 में पारित निर्णय दिनांक 05.08.1987 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट के दादा बक्सु के खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 47/3 रकबा 5 बीघा 7 बिस्वा खसरा नम्बर 55 रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा वाके ग्राम अलफसर से रेस्पोडेन्ट वादी संख्या 1 व 2 का कोई संबंध सरोकार न होते हुये भी एक मिथ्या दावा संख्या 108/87 पेश कर बक्सु के तीन पुत्रों में से एक के वारिसान को पक्षकार

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

बनाकर उनकी फर्जी तामील करवा कर एक नुमायशी डिक्री 108/87 से खसरा नम्बर 47/3, 55 की खातेदारी अपने नाम करवा ली। इससे व्यथित होकर धारा 5 के आवेदन के साथ यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने लिखित बहस देने का आश्वासन दिया था लेकिन लिखित बहस प्रस्तुत नहीं किये जाने पर अपील मेमो में दर्ज कथनों के आधार पर बहस अंकित की जा रही है। विवादित भूमि पुराना खसरा नम्बर 47/3 रकबा 5 बीघा 7 बिस्वा खसरा नम्बर 55 रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा वाके ग्राम अलफर का एकमात्र खातेदार खुद काबिज काश्तकार बक्सु पुत्र अली कोम कसाई प्रथम जमाबंदी से लेकर सम्वत 2042 तक खातेदार बक्सु पुत्र अली कोम कसाई रहा था वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 या उनके पुर्वजों का कभी कोई संबंध सरोकार नहीं रहा तथा केशाराम या खडताराम भूमि खसरा नम्बर 47/3 व 55 के खातेदार या उपकृषक जमाबंदी सम्वत 2012 से 2019 तक लगातार खुद काश्त या उपकृषक दर्ज नहीं रहा था, विचारण न्यायालय में रेस्पोडेन्ट संख्या 3 से 11 की या उनकी पूर्वजों की मिथ्या तामील करवा कर विचारण न्यायालय को साजशी तामीलो को सही होने का विश्वाास दिलाकर एवं मुगालता देकर कपट पूर्वक दावा संख्या 108/87 डिक्री करवा लिया। विवादित भूमि खसरा नम्बर 47/3 व 55 वाके अलफसर का एक मात्र खातेदार खुद काबिज काश्तकार बक्सु पुत्र अली कोम कसाई प्रथम जमाबंदी से लेकर सम्वत 2042 तक खातेदार बक्सु पुत्र अली कोम कसाई रहा था वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 या उनके पुर्वज का कभी कोई संबंध सरोकर नही रहा तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 या उनके पुर्वज भूमि खसरा नम्बर 47/3 व 55 के खातेदार या उपकृषक जमाबंदी सम्वत 2012 खुद काश्त या उपकृषक दर्ज नहीं रहा था इसलिए वे अपने पुर्वजो की फुटस्टेप पर धारा 15, 19, 88 आरटीएक्ट के तहत खातेदारी उदघोषित करवाने का वैध रूप से हकदार नहीं था, रामकुमार व भगवाना ने अपने दावे के समर्थन में अधिकार अभिलेख के रूप में प्रथम जमाबंदी या खसरा गिरदावरी की कोई प्रति पेश नहीं की तथा वादी रामकुमार व भगवाना सम्वत 2012 का अधिकार अभिलेख जमाबंदी या कब्जे बाबत

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

सम्वत 2012 से 2019 तक ही खसरा गिरदावरी पेश नहीं की जिससे उसे धारा 15 या 16 अथवा 88 आरटीएक्ट में खातेदार उद्घोषित किया जा सके विचारण न्यायालय द्वारा दावा संख्या 108/87 में दिनांक 05.08.1987 को डिक्री कल्पना एवं कयास के आधार पर आरटीएक्ट के प्रावधानों से विपरित जाकर डिक्री पारित किये जाने से निर्णय व डिक्री 05.08.1987 निरस्तनीय है। वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 वाद संख्या 108/87 के समर्थन में जो दस्तावेज प्रदर्शित करवाये उन दस्तावेजों से वादी का विवादित भूमि खसरा नम्बर 47/3 व 55 पर सम्वत 2012 से 2042 तक दावा दायरी तक लगातार कब्जा नहीं माना जा सकता वादी केशाराम द्वारा प्रदर्शित दस्तावेज रिकार्ड ऑफ राईट की संज्ञा में नहीं आते पेशशुदा दस्तावेज लगान रसीद की फोटो प्रति सम्वत 2068 से 2077 की फोटो प्रति है जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1860 तहत प्राथमिक एवं द्वितीय साक्ष्य की श्रेणी में नहीं आती तथा फोटो प्रति साक्ष्य में ग्राह्य भी नहीं होती है। लगान रसीद पर खसरा नम्बर अंकित नहीं है वादी ने ढाल बांध भी पेश नहीं की है। जिससे यह प्रमाणित हो सके की लगान वादी ने चुकाया है। वादी द्वारा पेश दस्तावेज प्रत्यक्ष संदिग्धता युक्त होने से निर्णय व डिक्री दिनांक 05.08.1987 निरस्तनीय है। जानकारी अंदर मियाद धारा 5 के आवेदन के साथ अपील प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि सुबराती नाम व्यक्ति ने विचारण न्यायालय के समक्ष पक्षकार नहीं होते हुए इस न्यायालय के समक्ष यह अपील निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.08.1987 के विरूद्ध असी करीब 29 साल के असाधारण विलम्ब से प्रस्तुत की है तथा रेवेन्यू कोर्ट मैन्युअल के प्रावधानों के अनुसार विचारण न्यायालय की पत्रावली का अधिकांश भाग निश्चित परिसीमा अवधि के पश्चात नष्ट किया जा चुका है तथा अपील प्रस्तुतकर्ता विचारण न्यायालय के समक्ष पक्षकार नहीं था जिसने इस न्यायालय

की इजाजत के बिना यह अपील प्रस्तुत की है जबकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि तृतीय पक्षकर/अजनबी धारा 96 सीपीसी के तहत अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्राप्त किये बिना अपील प्रस्तुत नहीं कर सकता। इसलिए अपील विधिक प्रावधानों के तहत नहीं होने के कारण खारिज किया जाना प्रार्थनीय है। अपीलांट ने 29 वर्ष के असाधारण विलम्ब के पश्चात यह अपील प्रस्तुत की है जो कि सर्वथा मियाद बाहर है एवं अर्सा करीब 29 साल के विलम्ब का कोई समुचित कारण धारा 5 परिसीमा अधिनियम के आवेदन में अंकित नहीं है जिस कारण धारा 5 परिसीमा अधिनियम के शपथ पत्र पर असाधारण विलम्ब को माफ किया जाने की अनुमति कानूनन प्रदान नहीं की जा सकती। अपीलांट बक्सु नाम व्यक्ति का उत्तराधिकारी नहीं है ना बक्सु का उत्तराधिकारी होने के संबंध में पत्रावली पर कोई दस्तावेज है एवं अपीलांट अथवा उकसे पूर्वजो का अपील मेमो में वर्णित कृषि भूमि में कोई संबंध अथवा सरोकार नहीं है उक्त कृषि भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने के समय से ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के कब्जा में निरन्तर रही है जिस पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ खातेदारी अधिकारी प्राप्त थे उक्त खातेदारी अधिकारों की घोषणा विचारण न्यायालय द्वारा दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के अनुसार करके चुनौतीग्रस्त डिक्री व निर्णय पारित किया है तथा खातेदारी अधिकारों की उद्घोषणा धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत की गयी है जिसे चुनौती देने का अपीलांट को कानूनी अधिकारी प्राप्त नहीं है। अपीलांट ने अपील में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 10 या उनके पूर्वजों की मिथ्या तामील करवाने का गलत कथन किया है ना ही उक्त तथ्यों का कोई आधार है तथा अपील मेमों की मद संख्या 6 में यह अंकित किया है कि जो व्यक्ति दावे में पक्षकार नहीं होता वह डिक्री से आबद्ध कर नहीं होता। उक्त तथ्य अंकन करने से भी स्पष्ट है कि अपीलांट प्रभावित पक्षकार नहीं है जिस कारण उसे अपील प्रस्तुत करने का लोकस्टण्डाई नहीं है। जिस कारण अपील खारिज किया जाना प्रार्थनीय है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन

है। खारिज की जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2021 (1) पेज 19, आरआरडी 1993 पेज 232, डीएनजे 2015(2) पेज 657, आरआरटी 2011(1) पेज 614, आरआरटी 2011(2) पेज 451, आरआरटी 2021 (1) पेज 336, आरआरटी 2009-10(सप्ली) पेज 535, एससी, डीएनजे 2007(3) राज पेज 1340, आरएलडब्ल्यू 2017(1) रेव पेज 288 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि सुबराती नाम व्यक्ति ने विचारण न्यायालय के समक्ष पक्षकार नही होते हुए इस न्यायालय के समक्ष यह अपील निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.08.1987 के विरूद्ध अर्सा करीब 29 साल के असाधारण विलम्ब से प्रस्तुत की है तथा अपील प्रस्तुतकर्ता विचारण न्यायालय के समक्ष पक्षकार नही था जिसने इस न्यायालय की इजाजत के बिना यह अपील प्रस्तुत की है जबकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि तृतीय पक्षकर/अजनबी धारा 96 सीपीसी के तहत अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्राप्त किये बिना अपील प्रस्तुत नही कर सकता। इसलिए अपील विधिक प्रावधानो के तहत नही होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। अपीलांट ने 29 वर्ष के असाधारण विलम्ब के पश्चात यह अपील प्रस्तुत की है जो कि सर्वथा मियाद बाहर है एवं अर्सा करीब 29 साल के विलम्ब का कोई समुचित कारण धारा 5 परिसीमा अधिनियम के आवेदन में अंकित नही है जिस कारण धारा 5 परिसीमा अधिनियम के शपथ पत्र पर असाधारण विलम्ब को माफ किया जाने की अनुमति प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलांट धारा 96 व धारा 5 के बिन्दु पर ही खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 5.8.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर